FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

अपीलान्ट बिरमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी रामसिया तहसील व जिला नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर।
4. प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कार्यपालक इंजिनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्लॉक नागौर, कार्यालय 104, आदर्श नगर, अजमेर।

किस्म मुकदमा मध्यस्थता प्रार्थना पत्र **संख्या** 66 **सन्** 2023

G.C.M.S.No- 2023/74

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.02.2023	वकील प्रार्थी ने आवेदन अन्तर्गत धारा 3छ(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के तहत ग्राम ढूढीवास तहसील व जिला नागौर के खसरा नम्बर 23 व 23/1 में से 0.6994 हैक्टयर भूमि अवाप्ति के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 20.02.2023 को प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी बीरमाराम व एक अन्य प्रार्थी श्री तुलसीराम द्वारा ग्राम ढूढीवास के खसरा नम्बर 23 में से 0.6994 हैक्टयर किस्म बारानी–3 में भूमि अवाप्ति के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित उक्त अवार्ड दिनांक 23.05.2016 विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 के मध्यस्थता प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया था, जिस पर मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–28/2017 बिरमाराम वगैरह बनाम भारत संघ वगैरह दर्ज कर प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2018 से प्रार्थीगण द्वारा मध्यस्थता प्रार्थना पत्र में भूमि, पेड़, नलकूप आदि के चाहे गये मुआवजे के संबंध में गुणावगुण व साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रकरण का निर्णय कर दिया गया था, जो प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन के साथ प्रस्तुत उक्त आदेश दिनांक 26.04.2018 की प्रति से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा पुनः हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का एक दो मंजिला रहवासी पक्के मकान मय अंदर व बाहर स्थिति संरचनाओं की भूमि और निर्माण व सरंचना पेटे का मुआवजे की मांग की है। इसके अलावा प्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–28/2017 में, भूमि की आवश्यकता, अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं करने, प्रभावित व्यक्तियों को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं देने, प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा व्यवसायिक के अनुकुल नहीं करने, धारा 3छ(1) व (2) के तहत मुआवजा निर्धारण से पूर्व धारा 3छ(3) की पालना नहीं करने, मनमाने ढ़ग से डीएलसी की रिपोर्ट प्राप्त करने एवं वर्तमान प्रचलित वास्तविक बाजार दरों की तुलना को बिना कोई साक्ष्य, सबूत और सुनवाई के आधार पर डीएलसी दरों पर गलत मुआवजे का निर्धारण करने आदि के तथ्य प्रकट किये गये थे। यही तथ्य पुनः प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र में किये है। प्रार्थी कलक्टर नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	मध्यस्थता प्रार्थनापत्र सं. 66/2023 RCMS No.-2023/74 बीरमाराम v/s भारत संघ वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.2.23 (लगातार)	ने भूमि अवाप्ति के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अति. जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध जब पूर्व में न्यायालय हाजा में मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, तत्समय प्रार्थी ने उसका दो मंजिला मकान अवाप्त होने के संबंध में कोई कथन नहीं किया था, अब पुनः प्रार्थी इसी अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध पुनः करीब साढ़े छः वर्ष पश्चात दो मंजिला मकान अवाप्त होने तथा हाल ही में पीडब्लूडी द्वारा मकान के पीछे डिमार्केशन कर पिलर रोपने से प्रार्थी को उसका मकान अवाप्तशुद भूमि में आने का कथन मात्र कर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। चूँकि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 28.02.2017 के मध्यस्थता प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया था, जिस पर मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–28/2017 बिरमाराम वगैरह बनाम भारत संघ वगैरह दर्ज कर प्रकरण में बाद सुनवाई न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 26.04.2018 से प्रार्थीगण द्वारा मध्यस्थता प्रार्थना पत्र में भूमि, पेड़, नलकूप आदि के चाहे गये मुआवजे के संबंध में गुणावगुण व साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रकरण का निर्णय किया जा चुका है। इसी अवार्ड दिनांक 23.05.2016 को प्रार्थी द्वारा पुनः हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चुनौति दी है, जो विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (पीयुष समारिया) मध्यस्थ एवं कलक्टर, नागौर	